as Director of Grievances. Instructions have also been issued to all the Ministries/Departments of the Government of India for issuing booklets/pamphlets about the facilities available to the public. These instructions emphasise that through such publications it may be ensured that the members of the public can approach the right authority and follow the prescribed procedure for obtaining the services/facilities easily. They have also been advised that the grievances columns in newspapers should be regularly examined with a view to picking up cases which relate to them and to take action on them in a time-bound manner. Regular meetings are also held by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances on public grievances matters with the Directors of Public Grievances of State Governments as well as Ministries/Departments of the Government of India to review the grievances redressal machinery set up by them. The Department of Pension and Pensioners' Welfare have recently apprised the public through a programme titled 'Pension Tension' which was telecast on Doordarshan Network. This programme apprised the viewers about the pension rulesprocedures and the functioning of the Department. Another programme on pension was telecast on zee T.V. which related to redressal of pensioners' grievances.

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु-सीमा

1638. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिये कितनी अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित की गई है और यह कित वर्ष निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या सरकार को इस अधिकतम आयु-सीमा को बढ़ाये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं, यदि हां, तो उन पर क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती के लिये अधिकतम आयु-सीमा में वृद्धि की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार देश की जनसंख्या-वृद्धि से उत्पन्न स्थिति तथा इस समय सरकारी सेवाओं में भर्ती के कम अवसर उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुये तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि करेगी और इस संबंध में अब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) मार्च, 1972 से समूह "ग" (तृतीय श्रेणी) के पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। समूह "घ" चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिये भी आयु सीमा 25 वर्ष है।

(ख) हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सिविल सेवा परीक्षा, 1991 से समूह क/ख (प्रथम/द्वितीय श्रेणी) के पद/सेवा पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है।

(घ) समूह ग/घ पदों पर नियुक्ति के लिये विद्यमान अधिकतम आयु सीमा, कार्य की प्रकृति, शैक्षणिक अर्हताओं तथा अनुभव की अपेक्षाओं को देखते हुये निर्धारित की गई है और इसीलिये इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों सीमित होने के कारण अधिकतम आयु सीमा बढ़ा देने मात्र से ही इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या के लिये रोजगार के अवसर स्वतः ही बढ़ नहीं पायेंगे।

Facilities to states consequent on Panchayat elections

1639. SHRI RAMJI LAL. Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what assistance/facilities have been provided by Government of India to the States where penchayat elections have been held;